

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1985

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत एसवीएस और एमवीएस

†1985. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) और बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) के ग्राम घटकों का रखरखाव संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा एसवीएस और ग्राम घटकों के रखरखाव हेतु नल जल मित्र बहु-कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक अभ्यर्थी को प्रशिक्षित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्देश दिया है और उन्हें पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं, की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके।

इसके शुभारंभ के बाद से, जल जीवन मिशन को एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने का अधिकार दिया जा रहा है। तदनुसार, यह परिकल्पना की गई है कि पीएचईडी/आरडब्ल्यूएस विभाग/एजेंसी के सहयोग से ग्राम-अवस्थित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा और जल के थोक अंतरण हेतु अवसंरचना तथा गांव की सीमा तक इसकी संवितरण प्रणाली की जिम्मेदारी, जैसा भी मामला हो, पीएचईडी/आरडब्ल्यूएस विभाग/बोर्ड/निगम की होगी।

(ख) स्थानीय ग्राम समुदाय को आयोजना, कार्यान्वयन में अपनी भूमिका निभाने और संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल प्रदान किया जा सके और "नल जल मित्र" के रूप में तैयार किया जा सके ताकि वे योजना संचालकों के रूप में कार्य कर सकें तथा कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर्स, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मेकेनिक, पंप संचालकों आदि के रूप में अपने गांव में पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम (स्कीमों) के निवारक अनुरक्षण सहित छोटी-मोटी मरम्मत और रखरखाव करने में सक्षम हो सकें। एनजेएमपी में संचालन और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक और अधिमानतः दो "नल जल मित्रों" की उपलब्धता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन के 2% तक का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण और निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* विभिन्न स्तरों पर मौजूदा जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रयोगशालाओं को रसायन और उपभोज्य वस्तुएं उपलब्ध कराकर उन्नयन, उपकरणों, उपस्करों, रसायन/अभिकर्मकों, कांच के सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, ज़मीनी स्तर पर जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए फील्ड परीक्षण कीटों (एफटीके)/एच₂एस शीशियों की खरीद तथा प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.07.2025 तक, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं में जल शोधन

संयंत्र परिसर में अवस्थित 591 प्रयोगशालाओं सहित 2,775 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें तथा जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल पर इसकी सूचना दें। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 24.80 लाख से अधिक महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके जल परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
